फर्द अहकाम

नवरतन बनाम [illegible]

नाम न्यायालय AC-II

केस संख्या दावा - 149/2022

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	12/11/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी हाजिर। वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक 03/12/2025 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय
	03/12/25	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वादपत्र को स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल मिसल है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 03/12/2025 को खुले इजलास सुनाया गया। [signature] सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

न्यायालय
सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर
(पीठासीन अधिकारी – गौरव बांकावत आर.ए.एस.)

वाद संख्या:– 2022/149

1. नवरतन पुत्र ब्रजमोहन जाति ब्राह्मण निवासी – ग्राम गोविन्दपुरा उर्फ रोपाडा तहसील सांगानेर जिला जयपुर राज0

वादी

बनाम

1. ग्यारसी देवी पत्नी भौरीलाल
2. छोटीदेवी पत्नी चौथूराम
3. मन्ना देवी पत्नी महादेव
4. लक्ष्मी देवी पत्नी घासीराम
   समस्त जाति मीना निवासी निवासीगण – ग्राम दांतली तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
5. गोपाललाल पुत्र ब्रजमोहन जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम गोविन्दपुरा उर्फ रोपाडा तहसील सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान।
6. मनभर देवी मीणा पत्नी हजारीलाल मीणा जाति मीणा ग्राम गोविन्दपुरा उर्फ रोपाडा तहसील सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान।
7. रेखा मीणा पत्नी पूरन मल मीणा जाति मीणा पता 92 भगवान विहार गोनेर रोड जयपुर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय जयपुर तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्तागण
वादी : श्री बनवारी कुमावत

सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–:निर्णय:–

निर्णय तिथि:–03.12.2025

वादी की ओर से वाद बाबत् घोषणा स्थाई निषेधाज्ञा हेतु पेश किया गया जिसका वृतान्त विवरण निम्न प्रकार से है :– वादी व प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 की खातेदारी कब्जेकाश्त की कृषि भूमि ग्राम गोविन्दपुरा उर्फ रोपाडा पटवार

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

हल्का लूनियावास भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र लूनियावास, तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित नया खाता संख्या 246 व पुराना खाता संख्या 157 की आराजी कृषि भूमि हाल खसरा नम्बर 280/1771 रकबा 0.0700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 351/1789 रकबा 0. 0700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 352 रकबा 0. 2600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 354/1716 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, कुल किता 4 का कुल रकबा 0.4500 हैक्टेयर भूमि है जिसके वादी व प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 रिकार्डेड खातेदार काबिज काश्तकार है। वर्णित भूमि मे वादी का 883/17796 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 का 1/12 व 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 6 का 2/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 7 का 50/1483 हिस्सा निहित है तथा उक्त भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 7 की सहखातेदारी कब्जेकाश्त की भूमि है जिसका वादी व प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 7 द्वारा आपसी सहमति के आधार पर मौके पर बटवारा कर रखा है उक्त आपसी सहमति के बटवारे के अनुसार वादी के हिस्से मे खसरा नम्बर 280/1771 रकबा 0.0700 हैक्टेयर भूमि आयी है जिस पर वादी मौके पर काबिज काश्त हो उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। वादी की खातेदारी कब्जेकाश्त की भूमि खसरा नम्बर 280/1771 के पश्चिमी उत्तरी दिशा मे सींव लगती हुयी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 की खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम गोविन्दपुरा उर्फ रोपाडा पटवार हल्का लूनियावास, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र लूनियावास, तहसील सांगानेर जिला जयपुर मे स्थित नया खाता संख्या 46 व पुराना खाता संख्या 46 की आराजी कृषि भूमि हाल खसरा नम्बर 273 रकबा 0.3700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 274 रकबा 0.3200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 277 रकबा 0. 2600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 278 रकबा 0.2500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 279 रकबा 0.0900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 280 रकबा 0.2000 हैक्टेयर, कुल किता 6 का कुल रकबा 1.4900 हैक्टेयर भूमि स्थित है जिसमे से खसरा नम्बर 280 रकबा 0.2000 हैक्टेयर भूमि इस वाद मे वादग्रस्त कृषि भूमि है। वादी की खातेदारी कब्जेकाश्त की कृषि भूमि जिसका उल्लेख वाद पत्र के मद सख्या 2 मे किया गया है जिसके हाल खसरा नम्बर 280/1771 रकबा 0.0700 हैक्टेयर, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.0700 हैक्टेयर भूमि है जिसके पश्चिमी उत्तरी दिशा में सींव लगती प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 की खातेदारी की कृषि भूमि जिसका उल्लेख वाद पत्र के मद सख्या 2 में किया गया है जिसके हाल खसरा नम्बर 280 रकबा 0.2000 हैक्टेयर, भूमि है जो इस वाद मे वादग्रस्त कृषि भूमि है तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 की भूमि का आज दिनांक तक विधिवत सीमाज्ञान नही हुआ है। वादी की खातेदारी कब्जेकाश्त की कृषि भूमि जिसका उल्लेख वाद पत्र के मद सख्या 2 मे किया गया है जिसके हाल खसरा नम्बर 280/1771 रकबा 0.0700 हैक्टेयर, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.0700 हैक्टेयर भूमि है जो मौके पर वादी के कब्जेकाश्त में कम है तथा वादी की खातेदारी की उक्त भूमि पश्चिम दिशा की ओर 5-7 फीट बढती है जो प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 की खातेदारी कब्जेकाश्त की भूमि हाल खसरा नम्बर 280 रकबा 0.2000 हैक्टेयर भूमि मे निकलती है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 व उनके साथ पाँच सात दीगर व्यक्ति दिनांक 27.11.2022 को विवादित भूमि हाल खसरा नम्बर 280 रकबा 0.2000 हैक्टेयर भूमि पर वादी के सीव लगते पश्चिम दिशा मे मौके पर प्लाटिंग कर निर्माण कार्य किये जाने के लिये मौके पर आकर

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर, द्वितीय

नाप जोख करने लगे जिस पर वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 व उनके साथ आये दीगर व्यक्तियो को यह कहा गया कि वादी की खातेदारी की भूमि जिसका उल्लेख वाद पत्र के मद संख्या 2 मे किया गया है जिस भूमि का मौके पर रकबा कम है तथा वादी की भूमि पश्चिम दिशा की ओर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 280 में 5–7 फीट निकलती है तथा वादी के पास मौके पर भूमि कम है जो प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के कब्जे काश्त मे है तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 विवादित भूमि खसरा नम्बर 280 का विधिवत सीमाज्ञान करवाये बिना मौके पर प्लाटिंग नहीं करे, ना ही किसी प्रकार का निर्माण कार्य करे ना ही बिना विधिवत सीमाज्ञान करवाये विवादित भूमि खसरा नम्बर 280 का बेचान हस्तान्तरण नही करे, ना ही मौके पर किसी प्रकार का परिवर्तन करे, ना ही उक्त भूमि का कृषि से अकृषि मे रूपान्तरित करे तथा वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को यह भी कहा गया कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 अपनी अपनी खातेदारी की भूमि का विधिवत सीमाज्ञान करवा ले उसके पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 अपनी खातेदारी की भूमि को किसी भी तरह से उपयोग उपभोग मे लेवे जिसमे वादी को कोई आपत्ति नही है। जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 द्वारा वादी को धमकी दी गयी की प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 280 का बिना विधिवत सीमाज्ञान करवाये मौके पर प्लाटिंग कर निर्माण कार्य करके रहेगा तथा बिना विधिवत सीमाज्ञान करवाये बिना ही विवादित भूमि का बेचान कर मौके पर दीगर व्यक्तियो को कब्जा सौप देगे तथा वादी, प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 का कुछ भी नही बिगाड सकते, प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 की उक्त धमकी के कारण वादी को अपने साम्पत्तिक व विधिक अधिकारो की सुरक्षार्थ उक्त वाद पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

अन्त में प्रार्थना की गई है कि वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिकी किया जाकर निम्न अनुतोष प्रदान किया जावे। वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिकी किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा इस कदर पाबन्द करावे कि वादी की खातेदारी कब्जेकाश्त की कृषि भूमि जिसका उल्लेख वाद पत्र के मद सख्या 2 मे किया गया है जो ग्राम गोविन्दपुरा उर्फ रोपाडा पटवार हल्का लूनियावास, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र लूनियावास, तहसील सांगानेर जिला जयपुर मे स्थित है जिसके हाल खसरा नम्बर 280/1771 रकबा 0.0700 हैक्टेयर, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.0700 हैक्टेयर भूमि है जो मौके पर वादी के कब्जेकाश्त मे कम है तथा वादी की खातेदारी की उक्त भूमि पश्चिम दिशा की ओर 5–7 फीट बढती है जो प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के खातेदारी कब्जेकाश्त की भूमि हाल खसरा नम्बर 280 रकबा 0.2000 हैक्टेयर, भूमि मे निकलती है तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4, की खातेदारी की उक्त भूमि का मौके पर विधिवत सीमाज्ञान नही हुआ है जिस कारण प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 विधिवत सीमाज्ञान करवाये बिना वादी की खातेदारी की भूमि हाल खसरा नम्बर 280/1771 रकबा 0.0700 हैक्टेयर, कुल किता 1 का कुल रकबा 0. 0700 हैक्टेयर भूमि व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 की खातेदारी की भूमि हाल खसरा नम्बर 280 रकबा 0.2000 हैक्टेयर भूमि पर मौके पर प्लाटिंग नही करे ना ही मौके पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य करे,

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

ना ही वादग्रस्त भूमि को कृषि से अकृषि भूमि मे रूपान्तरित करे, ना ही बेचान, हस्तान्तरण करे, ना ही किसी प्रकार से खुर्द बुर्द करे उक्त कृत्य ना तो प्रतिवादीगण स्वयं करे ना ही अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट, व वर्कमेन से करावे तथा प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि की मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये। प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 8 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर उक्त के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को जवाब दावा प्रस्तुत करने हेतु अनेक अवसर देने के उपरांत भी जवाब दावा प्रस्तुत नही करने पर जवाब दावा का अवसर बंद किया जाकर पत्रावली साक्ष्यवादी हेतु नियत की गई।

विचाराधीन वाद में वादी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 सीपीसी पेश किये जाने पर पत्रावली जवाब प्रार्थना पत्र हेतु नियत की गई। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 अनुपस्थित रहने पर उक्त के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 सीपीसी पर वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादी को संशोधित वाद प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। वादी की ओर से संशोधित वादपत्र प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया।

वादी की ओर से निम्न साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये :–

क्रमांक	साक्षी का नाम	पिता का नाम	पता	विशेष विवरण
पी–डब्ल्यू–1	नवरतन	ब्रजमोहन	ग्राम गोविन्दपुरा उर्फ रोपाडा तहसील सांगानेर जिला जयपुर	मुख्य परीक्षण कराया गया।
पी–डब्ल्यू–2	लड्डू गोपाल	देवनारायण	ग्राम गोविन्दपुरा उर्फ रोपाडा तहसील सांगानेर जिला जयपुर	मुख्य परीक्षण कराया गया।

सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

वादी की ओर से अपने वादपत्र के समर्थन में निम्न दस्तावेजात प्रस्तुत किये गये जो निम्न है :–

दस्तवेजात क्रमांक	विवरण
प्रदर्श–1	जमाबंदी संवत् 2074 से 2077
प्रदर्श–2	जमाबंदी संवत् 2074 से 2077
प्रदर्श–3	नक्शा ट्रेस प्रमाणित प्रति
प्रदर्श–4 व 5	मौके की फोटोग्राफ

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

नवरतन बनाम ग्यारसी व अन्य
2022 / 149
निर्णय दिनांक : 03.12.2025

वकील वादी की एकपक्षीय बहस वादपत्र पर सुनी गई। बहस सुनी जाकर वादपत्र का मय दस्तावेजात अवलोकन किया गया। वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात प्रदर्श–1 से स्पष्ट जाहिर है कि वादी वादग्रस्त आराजीयता खसरा नंबर 280 / 1771 का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। प्रदर्श–2 से यह भी जाहिर है कि प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 खसरा नंबर 280 के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। प्रदर्श–3 से यह भी जाहिर है कि वादी व प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि की सीमा आपस में लगती हुई है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह पूर्ण रूप से जाहिर है कि प्रतिवादीगण स्वयं की भूमि की आड़ में वादी की भूमि में हस्तक्षेप, उपयोग–उपभोग में बाधा कारित कर रहे है। चूंकि वादी व प्रतिवादीगण की सीमा आपस में लगती हुई है और जब तक वादी व प्रतिवादीगण के मध्य विधिक रूप से सीमा का निर्धारण नही हो जाता है तब तक प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित समझते है जिससे वादी व प्रतिवादीगण के मध्य मौके पर किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो।

अतः वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि जब तक वादी व प्रतिवादीगण के मध्य विधिक रूप से सीमा व तारबंदी नही हो जाती है तब तक प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 खसरा नंबर 280 / 1771 व खसरा नंबर 280 वाकै ग्राम गोविन्दपुरा उर्फ रोपाडा पटवार हल्का लूनियावास, भू0अ0नि0 क्षेत्र लूनियावास तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित के मौके की यथास्थिति बनाये रखें। भूमि को बिना विधिक कार्यवाही कृषि से अकृषि में परिवर्तित न करें। इस आशय की डिक्री जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 03.12.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

सत्यमेव जयते

Scanned with OKEN Scanner

नवरतन बनाम ग्यारसी व अन्य
2022 / 149
निर्णय दिनांक : 03.12.2025

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत **सहायक कलक्टर जयपुर शहर (द्वितीय)** मुकाम **जयपुर** ब इजलास **गौरव बांकावत** (आर.ए.एस.)

नवरतन **बनाम** ग्यारसी व अन्य

दावा बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर – दावा / 2022 / 149

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री गौरव बांकावत व हाजिरी वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू .... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि जब तक वादी व प्रतिवादीगण के मध्य विधिक रूप से सीमा व तारबंदी नही हो जाती है तब तक प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 खसरा नंबर 280 / 1771 व खसरा नंबर 280 वाकै ग्राम गोविन्दपुरा उर्फ रोपाडा पटवार हल्का लूनियावास, भू0अ0नि0 क्षेत्र लूनियावास तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित के मौके की यथास्थिति बनाये रखें। भूमि को बिना विधिक कार्यवाही कृषि से अकृषि में परिवर्तित न करें।

निज .... मुबलिग .... बाबत् ....
.. खर्चा इस मुकद्दमें में मय सूद बशरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 03.12.2025 को जारी की गई।

मुहर

सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

दस्तखत ....

ओहदा .... सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा		00	स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा		00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत् इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान		00	मीजान		

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner